

सं. एस-18/61/2015-एसबीएम
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रभाग

चौथा तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 23 जुलाई, 2015

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव

विषय: दिनांक 27 जुलाई से 8 अगस्त 2015 तक गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिनांक 27 जुलाई से 8 अगस्त 2015 तक गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ) मना रहा है। इस कार्यक्रम के प्रचालात्मक दिशा-निर्देश nrhm.gov.in/site.../fy2015-16/IDCF_guidelines_01.07.2015_1_.doc पर उपलब्ध हैं। यह कार्यक्रम देश में दस्त की वजह से शिशु मृत्यु को "शून्य" करने के प्रयासों को और गहन बनाने पर बल देता है।

2. जैसा कि आप सभी जानते हैं देश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की लगभग 11% मृत्यु दस्त की वजह से होती है और ज्यादातर ऐसी मौतें गर्मियों तथा वर्षा के मौसम में होती हैं। इस मुद्दे को प्रभावशाली ढंग से हल करने के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय देश भर में गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ) मना रहा है जिसका लक्ष्य ओआरएस, जिंक डिस्पर्सिबल टैबलेट के महत्वपूर्ण जीवन रक्षक उत्पादों का बेहतर कवरेज प्राप्त करना और दस्त के दौरान स्वच्छ जल, स्वच्छता तथा व्यक्तिगत साफ-सफाई की प्रथाओं सहित शिशु को खाना खिलाने की उपयुक्त प्रथा के कवरेज को बढ़ाना है।

3. सुरक्षित पेयजल, उचित हाथ प्रक्षालन, स्वच्छता की सुविधाएँ, टीका-करण तथा दूध पिलाने/उपयुक्त पोषण के प्रावधान के साथ दस्त का निवारण किया जा सकता है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता की सुविधाओं को उपलब्ध कराने में हमारे मंत्रालय का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें ग्रामीण बच्चों में दस्त को कम करने में प्रमुख भूमिका अदा करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मंत्रालय के एकीकृत तथा सक्रिय प्रयासों से भारत में दस्त के कारण बच्चों की मृत्युमें कमी आएगी।

4. मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप इस अभियान में भाग लें और राज्य में तैयार की गई आईईसी की सहायक सामग्रियों के वितरण, हाथ धोने के प्रदर्शन की गतिविधियों तथा सभी आशा कार्यकर्ताओं, आँगनवाड़ी शिक्षकों तथा सहायक कर्मचारियों को स्वच्छता एवं व्यक्तिगत साफ-सफाई की प्रथाओं पर प्रशिक्षण देकर इसकी गतिविधियों में सहायता करें। आप निम्नलिखित संदेश भी प्रसारित कर सकते हैं-

- i. सुरक्षित रख रखाव के साथ साफ पेयजल का सेवन करें।
- ii. माताएँ खाना पकाने से पहले, शिशुओं को दूध पिलाने से पहले तथा शिशुओं के मल साफ करने के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोएँ।
- iii. बच्चों के मल का सुरक्षित तथा स्वच्छता शौचालयों में ही तुरंत निपटान करें।

भवदीय,
सरस्वती प्रसाद

(सरस्वती प्रसाद)

संयुक्त सचिव (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण)

दूरभाष 24362705

प्रति:

1. राज्य समन्वयक - एसबीएम (जी), सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र